निगरानी प्रकरण क्रमांक /2017

प्रस्तुती दिनांक : 31/07/2017

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प इन्दौर

PBR/निगरानी/धार/भू-रा/2017/2969

1— राधेश्याम पिता श्रीकिशन जाति रघुवंशी
निवासी — ग्राम भोण्डिया तहसील व जिला धार

2— तेजुबाई पति राधेश्याम श्रीकिशन जाति रघुवंशी
निवासी — ग्राम भोण्डिया तहसील व जिला धार — प्रार्थीगण

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री [illegible]
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 02-08-2017
को प्रस्तुत।
536
02-08-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरूद्ध

1— भेरूसिंह पिता देवाजी जाति भील
निवासी — ग्राम भोण्डिया तहसील व जिला धार

2— कलाबाई पति भेरूसिंह जाति भील
निवासी — ग्राम भोण्डिया तहसील व जिला धार— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता

इसमे प्रार्थीगण श्रीमान तहसीलदार महोदय धार वृत्त—4 सागोर तहसील व जिला धार के राजस्व प्रकरण क्रमांक 12/अ—13/13—14 में पारित आदेश दि. 23.06.2017 से असन्तुष्ट होकर नीचे लिखे आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करते है।

(112) 22 8

X(a)-BR (H)-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक PBR/निग/धार/रा.नि./2017/2969

राधेश्याम विरुद्ध म.प्र. शासन

तहसील .... जिला धार

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.............. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक..............

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.............. तहसील का प्रकरण क्रमांक..............

वाद का विषय ....

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला तहसीलदार के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. 23/6/17 के विरुद्ध श्री .... के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/नहीं है/मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.......... ....रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है / नहीं दिया है। प्रस्तुतकार	1/9/17 22/8/17
19.9.2017	आवेदकगण की ओर से सूचना उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अध्यक्ष	

[पीछे देखिये